विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

सामान्य

स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

2011-12 में, 354 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय थे जिनके लेखे नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत प्रमाणित किये जाने थे। भारत सरकार ने 2011-12 के दौरान 222 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदानों/ऋणों के प्रति ₹ 36247.97 करोड़ जारी किए थे। 132 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के बारे में संबंधित मंत्रालयों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। 354 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के 2011-12 के लेखे, लेखापरीक्षा हेतु 30 जून 2012 तक उपलब्ध कराए जाने थे तथा लेखापरीक्षित लेखे संसद में 31 दिसम्बर 2012 तक प्रस्तुत किए जाने थे। इनमें से, 155 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे लेखापरीक्षा को निर्धारित समय में प्रस्तुत किये गये थे। 18 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे संबंधित संगठन द्वारा दिसम्बर 2012 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 1.1)

कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड

विशिष्ट रोगजनक मुक्त झींगा संतति गुणन केन्द्र की स्थापना पर निष्फल व्यय।

आरेखणों के प्रस्तुतीकरण पर फर्म का 90 *प्रतिशत* का भुगतान करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के साथ पार्टियों की वित्तीय क्षमताओं को सुनिश्चित किए बिना अनुबन्ध करने के कारण सात वर्ष बीत जाने के बाद भी परियोजना के गैर-स्थापन के परिणामस्वरूप ₹ 5.82 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। भारतीय झींगा कृषकों को रोग मुक्त पी. मोनोडोन शुक्राणु आपूर्ति करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.1)

संस्कृति मंत्रालय

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता

कर्मचारियों को अनुचित लाभ

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने अपने कमचारियों को ₹ 3.09 करोड़ का अनुचित लाभ दिया था, जो छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा संशोधित आश्वासित कैरियर

प्रगति योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। इसके अतिरिक्त, इसने कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति आयु से ऊपर सेवाओं का नियमित रूप से विस्तार किया था।

(पैराग्राफ 3.1)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

शिक्षा संसाधन भत्ते पर अप्राधिकृत व्यय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों तथा वर्ग 'क' अधिकारियों को मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा संसाधन भत्ते की प्रतिपूर्ति की थी।

(पैराग्राफ 4.1)

शल्य-चिकित्सीय मदों की अधिप्राप्ति पर अधिक भुगतान

निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने में विलंब के फलस्वरूप शल्य-चिकित्सीय मदों की अधिप्राप्ति उच्च मूल्यों पर की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.53 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय

भूमि की खरीद पर निधियों का अवरोधन

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय ने जनवरी 1988 से मार्च 1992 के दौरान इसके नये परिसर हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 1.95 करोड़ का व्यय किया। तथापि, अब तक भूमि का सीमांकन भी नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 20 वर्षों से अधिक के लिए धन का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

सू.प्रौ. उपकरण अनियोजित खरीद के कारण बेकार पड़े रहे

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय ने ₹ 66.21 लाख मूल्य के कम्प्यूटर तथा सू.प्रौ. उपकरण की खरीद अनियोजित तरीके से की थी जो व्यर्थ पड़े रहने का कारण बनी।

(पैराग्राफ 5.2)

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

संकाय सदस्यों द्वारा कम्प्यूटरों एवं परिधीय की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु संचित व्यावसायिक विकास भत्ते का अनियमित उपयोग - ₹ 1.52 करोड़

मौ.आ.रा.प्रौ.सं., भोपाल ने 2009-12 के दौरान अपने संकाय सदस्यों को संचित व्यावसायिक विकास भत्ता (सं.व्या.वि.भ.) के अंतर्गत कंम्प्यूटरों/परिधीय की खरीद हेतु ₹ 1.52 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जो अनियमित थी क्योंकि इस प्रकृति के व्यय (सं.व्या.वि.भ.) के अंतर्गत शामिल नहीं थे।

(पैराग्राफ 5.3)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

जल प्रभारों पर छूट का दावा न किया जाना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय उपलब्ध वर्षा जल संचयन प्रणालियों पर ₹1.44 करोड़ राशि के 10 *प्रतिशत* की छूट प्राप्त करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 5.4)

विश्व भारती

ब्याज की हानि

विश्व भारती ने न तो अव्ययित अनुदान वापस लौटाया और न ही ब्याज वाले सावधि जमा में ही निवेश किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

(पैराग्राफ 5.5)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती

अधिक संस्वीकृति भार के कारण विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त भुगतान

संस्वीकृत भार का वास्तविक आवश्यकता की संगति में मूल्यांकन करने में विफलता के परिणामस्वरूप निश्चित प्रभारों पर ₹ 82.41 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

पोत परिवहन मंत्रालय

मोरमुगांव पत्तन न्यास

निधियों का अवरोधन

इं.ऑ.क.लि. द्वारा भवन के सदुपयोग निर्धारित किए बिना भवन के निर्माण तथा एक अन्य भवन की विक्रेयता सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप, ₹3.01 करोड़ की धनराशि का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)